पत्रांक–08 / विविध(भू–मापी)–11–05 / 2023– 767 (8) / रा0

# बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

ई–मेल सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त;
सभी समाहर्त्ता;
सभी अपर समाहर्त्ता;
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 20/12/23

विषय – राज्यान्तर्गत भूमि / भू–खण्ड के लिए ई–भू–मापी पोर्टल (e-mapi) प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 (यथा संशोधित, 2023) के नियम–23(2)(i) के तहत यह प्रावधान है कि किसी हितबद्ध रैयत द्वारा अपनी रैयती जमीन की मापी हेतु प्रपत्र–36 (यथा संशोधित) में ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र अंचल कार्यालय को समर्पित कर सकता है तथा रैयत द्वारा मापी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् अधिकतम 30 कार्यदिवस के अंदर याचित जमीन की मापी की कार्रवाई कर मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन / ऑफलाइन हितबद्ध रैयत को उपलब्ध कराया जाना है।

तथापि, राज्यान्तर्गत भूमि / भू-खण्ड का मापी कार्य में तीव्रता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ई–मापी पोर्टल विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का शुभारम्भ माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक–20.12.2023 को किया गया है। इस संबंध में यह भी निदेशित है कि यदि किसी रैयत के द्वारा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन–पत्र समर्पित किया जाता है, तो इसे संबंधित अंचल अधिकारी अपने स्तर से ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार विभाग द्वारा गठित ई–मापी एप्लीकेशन फ्लो चार्ट की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति (अनु0 सहित) अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य अपने स्तर से परिचारित कराया जाय तथा सभी अंचलों में मापी की कार्रवाई संलग्न फ्लो चार्ट के अनुरूप एवं नियत समय–सीमा में सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
20/12/23
(जय सिंह)
सचिव।

अनु0–यथोक्त।

D:\sanjeev\sec-8\Santosh Jee\Letter\Sec\Letter-20.12.23.docx

# E-Mapi Application Flow

## ( https://emapi.bihar.gov.in/ )

आवेदक सबसे पहले अपना व्यक्तिगत विवरण तथा मोबाइल नंबर के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के बाद मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करेगा।

⇨

आवेदक मापी के लिए सॉफ्टवेयर में एक जमाबंदी के प्लॉट का चयन करेगा, व्यक्तिगत विवरण, चौहदीदार का पूरा विवरण, मापी का कारण भरेगा, आवश्यक कागजात अपलोड करेगा और CO को आवेदन ऑनलाइन जमा करेगा।

⇨

CO आवेदन के विवरण की जांच करेगा और आवेदन को फील्ड निरीक्षण लिए कर्मचारी को ऑनलाइन अग्रेषित करेगा

⇩

अंचल अधिकारी कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर मापी की पात्रता के लिए आवेदन का सत्यापन करेंगे। पात्र नहीं होने पर आवेदन उचित कारण का उल्लेख करते हुये खारिज कर दिया जाएगा

⇦

यदि मापी के लिए आवेदन उचित है, तो आवेदक को CO द्वारा अमीन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सूचित किया जाएगा और भुगतान के उपरांत आवेदक द्वारा मापी के लिए 3 अस्थायी तारीख का चयन किया जाएगा और फिर से CO को आवेदन जमा किया जाएगा।

⇦

आवेदन को एक स्वचालित सिस्टम जनित केस मिलेगा। अब सीओ उस मामले में आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार अमीन और मापी की तिथि निर्धारित करेंगे और मापी के संबंध में चौहदीदार सहित सभी संबंधितों को नोटिस जारी करेंगे।

⇩

मापी के दिन अमीन चौहद्दीदार व अन्य की मौजूदगी में मापी करेंगे और सीओ को रिपोर्ट ऑनलाइन भेजेंगे

⇨

अमीन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का सीओ सत्यापन कर अनुमोदन करेंगे। सीओ के डिजिटल हस्ताक्षर के उपरांत रिपोर्ट आवेदक के लॉगिन में उपलब्ध होगी। और मापी सम्पन्न हो जाएगी।